शिवनारायण बनाम कमलेश महरिया

प्रार्थना पत्र संख्या– 4/2025

18-9-25 अभिभाषक प्रार्थी ने अवमानना प्रार्थना पत्र में लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए कथन किये कि पक्षकारान के मध्य भूमि विवाद की अपील अनवानी शिवनारायण बनाम रामलाल विचाराधीन है। अपील के लंबित रहते हुए निशानदेही के माध्यम से प्रार्थी से कब्जा छीनने की कोशिश की जा रही है। अपील के लंबित रहते हुए कब्जे में परिवर्तन करना न्यायालय की अवमानना है। अपील के दायरा के दिन भी मौके व रिकॉर्ड की स्थिति रखना लाजमी होता है इसके बावजूद निशान देही करवाना न्यायालय की अवमानना है। अतः निशानदेही का आदेश निरस्त किया जावे। अप्रार्थीगण के विरूद्ध अवमानना की कार्यवाही कर सजा देने की कृपा करे। प्रार्थी द्वारा लिखित बहस में उल्लेखित न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब बहस में कथन किये कि प्रार्थी द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य छुपाकर स्थगन आदेश प्राप्त किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में ऐसे किसी आदेश का जिक्र नही किया है जिसकी अवमानना हुई है। प्रकरण में एक अपील अनवानी शिवनारायण बनाम रामलाल माननीय न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें किसी प्रकार का स्थगन आदेश जारी नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर एकतरफा स्थगन प्राप्त किया गया है। जिससे अप्रार्थीगण जो कि रिकॉडेर्ड खातेदार है उनके हित प्रभावित हो रहे है। प्रार्थी द्वारा यह नही बताया गया है कि किस आदेश की अवमानना हुई है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण प्रकिया मिथ्या रूप से पेश की गई है। अतः अवमानना प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया । माननीय न्यायालय के न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया।

प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि अपील अनववानी शिवनारायण बनाम रामलाल इस न्यायालय में विचाराधीन है। जिसमें न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित नही किया गया है। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 03–07–2024 द्वारा प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया गया जा चुका है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ इस न्यायालय का ऐसा कोई आदेश प्रस्तुत नही किया गया है जिसकी अवमानना होनी अभिकथित है। जब न्यायालय द्वारा दिनांक 03–07–2024 को प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज किया जा चुका है तो प्रार्थी जरिये अपील ही स्थगन के संबंध में कोई अनुतोष प्राप्त कर सकता है।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

अवमानना प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु न्यायालय द्वारा केवल इस बिन्दू को तय किया जाना है कि–

1. वह कौनसा आदेश है जिसकी अवमानना हुई है?
2. आदेश के किस बिन्दू की अवमानना हुई है?
3. अवमानना किसके द्वारा की गई है?

प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र के साथ तहसीलदार, रावला का पत्रांक 1145 दिनांक 04–04–2025 प्रस्तुत किया है। इस पत्र के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि इसके द्वारा तहसीलदार रावला द्वारा प्रश्नगत भूमि के सीमाज्ञान हेतु टीम गठित कर सीमाज्ञान के आदेश प्रदान किये है। प्रार्थी द्वारा इस न्यायालय का ऐसा कोई भी आदेश प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत नही किया गया है जिसकी अवमानना होना प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अभिकथित किया है।

चूंकि मूल अपील में प्रार्थी का स्थगन प्रार्थना पत्र खारिज हो चुका है। अतः तहसीलदार, रावला द्वारा प्रश्नगत भूमि के सीमाज्ञान करवाने मात्र से अपील के निर्णयन पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ता है और ना ही यह आदेश अवमानना की श्रेणी में आता है। क्योकि सीमाज्ञान से कब्जे में परिवर्तन नही होता है। अतः अप्रार्थी संख्या 1 व 2 प्रश्नगत भूमि का केवल सीमाज्ञान करवाने की हद तक स्वतंत्र है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने के कारण इसी स्तर पर खारिज किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 18–09–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील व तक्मील दाखिल दफ्तर हो।

(उम्मेद सिंह रतनू)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर